कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक-4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Website - tribal.cg.gov.in ☎ - 2263708, Fax – 2262558 E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक/सा.स्था.–05/181/2025–26/ 11203 नवा रायपुर, दिनांक 26/12/2025

–:: आदेश ::–

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द" से छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "स" के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सा.स्था. 05/146/2022/10408 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24.02.2022 के द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.06.2022 को आयोजित की गई थी।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री अजय कुमार कानगो का प्रकरण बंद लिफाफे में रखा गया था।

कलेक्टर, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के आदेश क्रमांक 20 दिनांक 23.11.2022 द्वारा श्री अजय कुमार कानगो, छात्रावास अधीक्षक (निलंबित) प्री–मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, जरौधा, वि.ख.–खड़गवां, जिला–कोरिया (छ.ग.) के विरूद्ध थाना खड़गंवा में दर्ज अपराध क्रमांक/108/2021 धारा 376 (2) (ढ) भा.दं.सं. के संदर्भ में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (एस.सी. एस.टी.) मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (छ.ग.) के सत्र प्रकरण क्रमांक/132/2021 में माननीय अपर सत्र न्यायालय मनेन्द्रगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2022 के बिन्दु क्रमांक–14 के अनुसार अभियुक्त को धारा 376 (2) (ढ) भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किए जाने के फलस्वरूप मूल नियम 54 (5) के तहत् निलंबन अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि मान्य करते हुए निलंबन से बहाल कर प्री–मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, जरौधा में पदस्थ किया गया है।

उपरोक्त आदेश दिनांक 23.11.2022 को संज्ञान में रखते हुये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.06.2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सा.स्था. –05/146/2023/3302 दिनांक 30.06.2023 के द्वारा श्री अजय कुमार कानगो को पदोन्नति उपरांत प्री–मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, जरौधा, वि.ख.–खड़गवां, जिला–कोरिया (छ.ग.) मे पदस्थ किया गया था।

अतः श्री अजय कुमार कानगो द्वारा दिनांक 05.06.2023 एवं 18.08.2023 को उपरोक्तानुसार दोष मुक्त होने के कारण छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "स" के पद पर दिनांक 06.06.2022 से पदोन्नति/वरीयता का लाभ दिये जाने के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर समिति द्वारा इनका बंद लिफाफा खोला जाकर श्री कानगो, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द" को प्री–मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, जरौधा, वि.ख.–खड़गवां, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.) में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल–6 (वेतन बैंड रूपये 5200–20200+2400 ग्रेड वेतन) से छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "स" पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल–8 (वेतन बैंड रूपये 9300–34800 + 4200 ग्रेड वेतन) के पद पर उनके कनिष्ठों को दी गई पदोन्नति के ऊपर आदेश दिनांक 09.06.2022 से **"कार्य नहीं वेतन नहीं"** के आधार पर काल्पनिक वेतन निर्धारण करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक लाभ देते हुये पदोन्नत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

26/12/2025

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

पृ.क्रमांक/सा.स्था.–05/181/2025–26/ 11204 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26/12/2025
प्रतिलिपिः–

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, **मान. मंत्री,** छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, **प्रमुख सचिव,** छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. **कलेक्टर,** जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.) छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. **सहायक आयुक्त,** आदिवासी विकास, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
4. **जिला कोषालय अधिकारी,** जिला– मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. **श्री अजय कुमार कानगो,** छात्रावास अधीक्षक श्रेणी ''स'', प्री–मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, जरौधा, वि.ख.–खड़गवां, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner